इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 अगस्त 2018—श्रावण 29, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक. डी–15–50–2018–चौदह–3: म0प्र0 कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 32–क के साथ पठित धारा 79 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होंने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन के प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होंने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होंने के पूर्व या पर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा विकास विभाग कक्ष कमांक 83 मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 462004 को प्राप्त हो, विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में –

1. नियम 4 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नानुसार उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात :–

''(2) विशेष अनुज्ञप्ति, ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारोबार करने के लिए दी जा सकेगी जो किसी वित्तीय वर्ष में अधिसूचित कृषि उपज के निम्नलिखित समूह में से किसी एक या एक से अधिक कृषि उपज का क्रय, उनके सामने वर्णित न्यूनतम मात्रा में समस्त क्रय केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए, उत्पादकों से करता है –

(एक)	सब्जी, फल तथा फूल	1,000 मेट्रिक टन
(दो)	मसाले	1,000 मेट्रिक टन
(तीन)	तन्तु (कपास आदि)	2,000 गठान
(चार)	तिलहन	2,000 मेट्रिक टन
(पांच)	धान्य तथा दलहन	2,000 मेट्रिक टन
(छह)	वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज	100 मेट्रिक टन

परन्तु विनिमय के मामले में उपरोक्त वर्णित उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

2. नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात :–

''5. **अनुज्ञप्ति शुल्क–** विशेष अनुज्ञप्ति के लिए फीस रूपए 20,000 (रूपए बीस हजार) होगी। अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञप्ति मंजूर करने का विनिश्चय लिए जाने के पश्चात् देय होगी।

3. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात :—

"6. **प्रतिभूति**—(1) अनुज्ञप्ति मंजूर करने का विनिश्चय किए जाने के पश्चात् विभिन्न अधिसूचित कृषि उपजों के लिए, समस्त क्रय केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी :

(क)	सब्जी, फल तथा फूल	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 50 हज़ार किन्तु न्यूनतम रूपए 1 लाख
(ख)	मसाले	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख
(ग)	तन्तु (कपास आदि)	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख
(घ)	तिलहन	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख
(ङ)	धान्य तथा दलहन	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख
(च)	वन उपज और कृषि औषधीय उपज	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 50 हजार किन्तु न्यूनतम रूपए 1 लाख

परन्तु नियम 6 में उल्लेखित अनुज्ञप्ति फीस न्यूनतम है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक वर्ष के किसी एक दिवस में समस्त कय केन्द्रों से संचयी रूप से वास्तविक कय के कुल मूल्य तक बढ़ाई जा सकेगी।

4. नियम 10 में, उप–नियम (1) खण्ड (नौ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात :—

"(दस) प्रवेश, विकय–क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/क्षेत्रों पर सी. सी. टी. व्ही. कैमरे स्थापित करना।

"(ग्यारह) क्रय–विकय लेखा की डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारित रखना"।

5. नियम 12 में, उप–नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5) विशेष अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के निर्णय की सूचना प्राप्त होंने के तत्काल पश्चात् आवेदक द्वारा रू 20,000/–(रूपये बीस हजार) की अनुज्ञप्ति फीस बोर्ड के कार्यालय में जमा की जाएगी।"

No. D-15-50-2018-XIV-3: The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Special License for more than one market area) Rules, 2009, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 read with Section 32-A of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and Notice is hereby given that the said draft of amendments will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of its publication of this Notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department in Room No 83, Mantralaya Vallabh Bhawan, Bhopal 462004.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules-

1. In rule 4, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) Special License may be granted to such person for carrying out the business of notified agricultural produce in more than one market area, who in a

financial year shall purchases one or more than one agricultural produce out of the following groups of notified agricultural produce in the minimum quantity mentioned against them, from producer including the cumulative purchase from all the purchase centres :-

(i)	Vegetables, Fruits and Flowers	1000 Metric Ton
(ii)	Spices	1,000 Metric Ton
(iii)	Fibres (Cotton etc)	2,000 Bales
(iv)	Oil seeds	2,000 Metric Ton
(v)	Cereals and pulses	2,000 Metric Ton
(vi)	Forest produce and agriculture medicinal produce	100 Metric Ton

Provided that in case of an exchange the above the mentioned provisions shall not apply.

2. For rule 5, the following rule shall be substituted, namely :-

"5. License Fees.- The fee for special license shall be Rupees 20,000/- (Twenty Thousands). The license fee shall be payable after decision has been taken to grant the license.

3. For rule 6, the following rule shall be substituted, namely :-

"6. Security.- (1) After the decision to grant the license has been taken, for various notified agricultural produce, including all purchase centres, following security shall be submitted by licensee :

(a)	Vegetables, Fruits and Flowers	Rs. Fifty Thousand per purchase centre but minimum Rs. 1 lakh
(b)	Spices	Rs. 1 lakh per purchase centre but minimum Rs. 3 lakh
(c)	Fibres (Cotton etc)	Rs. 1 lakh per purchase centre but minimum Rs. 3 lakh
(d)	Oil seeds	Rs. 1 lakh per purchase centre but minimum Rs. 3 lakh
(e)	Cereals and pulses	Rs. 1 lakh per purchase centre but minimum Rs. 3 lakh
(f)	Forest produce and agriculture medicinal produce	Rs. Fifty Thousand per purchase centre but minimum Rs. 1 lakh

Provided that the License fee mentioned in rule 6 is minimum and may be increased upto the total value of actual purchase undertaken by the Licensee at all the centres cumulatively on any given day during the annual year.

4. In rule 10, in Sub-rule (1) after clause (ix) the following clauses shall be added to, namely :-

"(x) establish C.C.T.V., Cameras at Entrance, sale purchase, payment and weighment counters/areas.

(xi) maintain digital backup system of sale purchase account."

5. In Rule 12, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substitute, namely :-

"(5) Immediately after receiving the information regarding decision to renew the special license, the license fee of Rs 20,000 (Rupees twenty thousand) shall be deposited by the applicant in the office of the Board."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.